

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-40/2025 दिनांक 09.02.2025)
***दिनांक-09.02.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

गो-तस्करी गैंग का पर्दाफाश, एक बोलेरो वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 02 राशि गोवंश, 04 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद लकड़ी का ठीहा, 02 अदद अवैध तमन्चा व 04 अदद धारदार हथियार के साथ 04 शातिर गोतस्करों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.02.2025 को कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र से 04 पशु तस्करों 1.सद्दाम अली पुत्र इरशाद अली सा0बसहिया बनवीरपुर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर, 2. रफीक अली पुत्र सहाबुल अली सा0 जंगल अमवा थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर, 3. अलाउद्दीन पुत्र लालमनी सा0 सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर, 4. परवेज आलम पुत्र आलिम अली सा0 बसहिया बनवीरपुर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर मौके/कब्जे से 01 अदद पिकप बोलेरों वाहन से 2 राशि गोवंशीय पशु क्रूरता पूर्वक बंधे हुए, 2 अदद अवैध तमंचा व 4 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 4 अदद धारदार हथियार, मोबाइल फोन, लकड़ी का ठीहा आदि बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग एक बोलेरो गाड़ी को खरीद कर इसमें सिर्फ आगे की सीट को रखकर सभी सीटें निकाल कर माडीफाई करवा लिये। गोवंशीय पशुओं को इसी बोलेरो वाहन में क्रूरता पूर्वक लाद कर तस्करी कर बिहार राज्य में ले जाकर बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है।



मु0अ0सं0 66/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सद्दाम अली पुत्र इरशाद अली सा0 बसहिया बनवीरपुर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2. रफीक अली पुत्र सहाबुल अली सा0 जंगल अमवा थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
3. अलाउद्दीन पुत्र लालमनी सा0 सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
4. परवेज आलम पुत्र आलिम अली सा0 बसहिया बनवीरपुर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1- 02 राशि गोवंशीय पशु
- 2- एक अदद महिन्द्रा बोलेरो वाहन नं0 UP 33 L 3363
- 3- 02 अदद अवैध तमंचा व 04 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर,
- 4- 04 अदद मोबाइल
- 5- 02 अदद जानवर काटने का लकड़ी का ठीहा
- 6- 04 अदद धारदार हथियार

अभियुक्त सद्दाम अली का आपराधिक इतिहास—

- 1- मु0अ0सं0 469/2024 धारा 115(2)/191(2)/351(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
- 2- मु0अ0सं0 853/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

अभियुक्त परवेज आलम का आपराधिक इतिहास—

- मु0अ0सं0 469/2024 धारा 115(2)/191(2)/351(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।
2. उ0नि0 विपिन सिंह चौकी प्रभारी बांसी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।



3. उ०नि० आकाश कुमार सिंह चौकी प्रभारी सिधुआ थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
4. उ०नि० सचिन दिवाकर को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
5. उ०नि० राहुल कुमार थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
6. का० चन्दन यादव को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
7. का० चन्द्रप्रकाश मिश्रा को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
8. का० हरिराम यादव को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
9. का० रविप्रकाश सिंह को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
10. का० चन्द्रमा बिन्द को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।
11. का० अंकुर सिंह को० पडरौना जनपद कुशीनगर ।

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा गैगेस्टर के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.02.2025 थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 94/2024 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना चौराखास कुशीनगर मे वांछित चल रहे अभियुक्त राममिलन पुत्र बसन्त प्रसाद निवासी मीठाबेर थाना झगहा जनपद गोरखपुर (उ०प्र०) को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 94/2024 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना चौराखास कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

राममिलन पुत्र बसन्त प्रसाद निवासी मीठाबेर थाना झगहा जनपद गोरखपुर (उ०प्र०)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह थाना पटहेरवा कुशीनगर ।
- 2-उ०नि० श्री मनोज कुमार वर्मा थाना पटहेरवा कुशीनगर।
- 3-का० अर्जून खरबार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 4-का० रितेश कुमार राय थाना पटहेरवा कुशीनगर ।

थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा अलग अलग मुकदमों में दो नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे



Edit with WPS Office

अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.02.2025 थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा मु0न0 2688/11 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त ग्रीस पुत्र अमेरिका निवासी कतौरा थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर तथा मु0नं0 1491/06 धारा 323/504 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी लड्डू उर्फ लकडू पुत्र सदीक निवासी वार्ड नं0 01 अम्बेडकरनगर नगर पंचायत सेवरहीं जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0न0 2688/11 धारा 323/504/506 भादवि थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

2- मु0नं0 1491/2006 धारा 323/504 भादवि थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार वारण्टीगण-

1-ग्रीस पुत्र अमेरिका निवासी कतौरा थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

2- लड्डू उर्फ लकडू पुत्र सदीक निवासी वार्ड नं0 01 अम्बेडकरनगर नगर पंचायत सेवरहीं जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय राय थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 संदीप कुमार वर्मा थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

3-का0 रवि प्रकाश सिंह थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

4-का0 शुभम यादव थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 46 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-80 वाहन

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-40, व्यक्ति-176

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(07)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-53)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

